कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

5 भट्टियों को तोडकर 3000 लीटर वॉश को किया नष्ट
80 लीटर कच्ची शराब जप्त कर 1 व्यक्ति को किया गिरफतार

जयपुर 21 अगस्त। भरतपुर जिले में अवैध शराब तस्करों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना गोपालगढ ने जंगल गांव भोजपुर से 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 5 भट्टियों को तोडकर करीब 3000 लीटर वॉश को नष्ट कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री अनिल कुमार टॉक ने बताया कि श्री सुरेन्द्रसिंह कविया अति0 पुलिस अधीक्षक डीग व श्री रायसिंह बैनीवाल वृताधिकारी वृत कामां के निर्देशन में थानाधिकारी थाना गोपालगढ श्री रामसिंह यादव, थानाधिकारी थाना कैथवाडा श्री रामनरेश मीना मय जाब्ता द्वारा गांव भोजपुर के जंगल में अवैध हथकढ शराब बनाने की सूचना पर दो टीमों का गठन कर कार्यवाही की गई।

श्री टॉक ने बताया कि उक्त कार्यवाही के दौरान 5 भट्टियों को तोडकर 3000 लीटर वॉस को नष्ट कर 80 लीटर अवैध कच्ची हथकढ शराब तथा शराब बनाने के उपकरणों को जब्त किया गया है तथा मौके से **भगत पुत्र गुरूदेव** जाति रायसिख निवासी भोजपुर थाना गोपालगढ को गिरफ्तार किया गया है तथा इसका साथी बिजेन्दर पुत्र लालसिंह जाति रायसिख निवासी भोजपुर थाना गोपालगढ मौके से फरार हो गया। इस सम्बन्ध में थाना गोपालगढ पर मुकदमा दर्ज किया गया हैं तथा मौके से फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

राही/ सन्तरा/608/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

कपड़ा चोरी गिरोह का पर्दाफाश

जयपुर 21 अगस्त। बाडमेर जिले के थाना बालोतरा पुलिस ने बालोतरा के औधोगिक क्षेत्र में हो रही कपडा चोरी की वारदातों का पर्दाफाश करते हुए चार मुल्जिमों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक बाडमेर डॉ0 गगनदीप सिंगला ने बताया कि बालोतरा में औद्योगिक क्षेत्र में पिछले काफी समय से कपड़ा (थान) चोरी की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने तथा उक्त वारदातों का पर्दाफाश करने हेतु श्री कैलाशदान रतनू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा, श्री राजेश माथुर पुलिस उप–अधीक्षक बालोतरा के सुपरविजन में भंवरलाल सीरवी पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा के नेतृत्व में पुलिस थाना बालोतरा पर एक विशेष टीम का गठन किया गया।

डॉ0 गगनदीप सिंगला ने बताया कि उक्त विशेष टीम ने मुखबिर की सहायता से उक्त वारदातों को अन्जाम देने वाले अज्ञात मुल्जिम्ों को नामजद कर पिछले सात माह में कस्बा बालोतरा में कपड़ा (थान) चोरी की वारदातों का पर्दाफाश कर चार आरोपीयों खीमाराम पुत्र राजूराम जाति सांसी निवासी सांसी कॉलोनी बालोतरा, श्रवण उर्फ तमा पुत्र मुंशीराम जाति सांसी निवासी सांसी कॉलोनी बालोतरा, रमेश पुत्र श्री जोगाराम जाति सांसी निवासी सांसी कॉलोनी बालोतरा तथा ईकबाल पुत्र श्री मुसेखां मुसलमान छीपा निवासी लालजी का थान बालोतरा को हिरासत में लिया गया। जिनके द्वारा कस्बा बालोतरा में रणछोड़ नगर खेड़ रोड़, जैरला रोड़ बालोतरा, हनुमान मन्दिर गांधीपुरा बालोतरा, जसोल, बिठुजा, हीना फैक्ट्री औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा की कुल सात वारदातों को अन्जाम देना स्वीकार किया हैं।

उन्होंने बताया कि इस प्रकार कस्बा बालोतरा में अब तक औद्योगिक क्षेत्र से हुए कपड़ा चोरी की वारदातों का खुल्लासा करते हुए उपर्युक्त चारों मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया है। उक्त वारदातों में लिप्त रहे अन्य मुल्जिमान्, प्रयुक्त वाहनों तथा कपड़ा (थान) खरीददारों की पहचान कर ली गई है। जिनसे चोरी किए गए कपड़ा (थान) के खरीददारों बाबत् गहन अनुसंधान किया जाकर चुराए गए कपड़ा (थान) की बरामदगी की जाएगी।

राही/ सन्तरा/609/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।